सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 30, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 22, 2021 *Asvina 30, Friday , Saka 1943- October 22, 2021*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

कार्यालय रजिस्ट्रार, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान के कर सहायकों के लिये विभागीय परीक्षायें (आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान) कर भवन, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 22, 2021

संख्या प.9(एच)(203)एडम/आयुक्त/2013–14 :– राजस्थान सिविल सेवायें (विभागीय परीक्षायें) नियम 1959 के नियम 17 के अनुसरण में तथा राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 के अन्तर्गत कर सहायकों के लिये निर्धारित विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण समस्त सम्बन्धित की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है ।

पाठ्य विवरण
प्रश्न पत्र

अनुज्ञात समय– 3.00 घंटे
अंक–300

भाग–अ **अनुज्ञात समय– 2.30 घंटे**

अंक–200

विविध अधिनियमों एवं नियमों का सामान्य ज्ञान, कार्यालय पद्धति एवं सेवा नियम तथा विभाग से संबंधित सूचना प्रौधोगिकी ढॉचे का ज्ञान

1. राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017।
2. एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम एवं नियम, 2017।
3. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 एवं रा.मू.प.क.नियम, 2006।
4. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं केन्द्रीय विक्रय कर नियम, 1957।
5. राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम (स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर), 1999 एवं इसके अधीन बनाए गए नियम।
6. राजस्थान सेवा नियम, अध्याय 1 से 10 के सामान्य प्रावधान।
7. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के सामान्य प्रावधान।
8. सामान्य कार्यालय प्रक्रिया।
9. BO Web Portal (Backend Portal) के संबंध में गहन ज्ञान।
10. GST Web Portal (gst.gov.in) का गहन ज्ञान।
11. E-Way Bill Portal (ewaybill.nic.in) की गहन जानकारी।
12. राजटैक्स वेब पोर्टल पर व्यवहारियों को दी जा रही विविध सेवाओं का गहन ज्ञान।
13. राजविस्टा पर विविध मोड्यूल्स का प्रयोग एवं उपयोग।

14. विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट का उपयोग एवं उनको प्राप्त करना।
15. विभिन्न प्रार्थना पत्रों को अनुमोदन हेतु प्रोसेसिंग करना।
16. संदेशन और सामान्य एवं विशिष्ट उपयोग हेतु टास्क असाइनमेण्ट मोड्यूल का उपयोग।
17. एम.एस. वर्ड, एक्सल एवं पावर पॉईण्ट प्रस्तुतीकरण का मूल ज्ञान।

भाग–ब **अनुज्ञात समय– 0.30 घंटे**

प्रायोगिक परीक्षण **अंक–100**

1. हिन्दी टंकण में प्रवीणता
2. अंग्रेजी टंकण में प्रवीणता
3. भाग–अ में वर्णित सूचना प्रौधोगिकी ढॉचा/सेवाओं का अनुप्रयोग

नोटः–

1. प्रश्न पत्र में परीक्षार्थियों से नियमों एवं अधिनियमों का सामान्य ज्ञान ही अपेक्षित है ।
2. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपेक्षित समस्त मूल अधिनियमों तथा नियमों की प्रतियां ¼Bare Act And Rules½ का अध्ययन करने दिया जायेगा, किन्तु रेफरेन्स बुक अथवा टिप्पणी युक्त प्रतियों का उपयोग प्रतिबन्धित है ।
3. अधिनियमों तथा नियमों के विहित भागों के अधीन जारी की गई समस्त अधिसूचनायें तथा आदेश पाठ्यक्रम में सम्मिलित होंगे ।
4. न्यनूतम उत्तीर्णांक 45 प्रतिशत होंगे ।

विशेष नोटः– विभागीय परीक्षा का आयोजन ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ (Objective), लघु उत्तरीय (Short Answer Type), निबन्धात्मक (Essay Type) प्रश्न सम्मिलित होंगे।

रवि जैन,
रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षा एवं आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।